

**कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास
परियोजना छैगांव माखन**

क्रं./ आई.सी.डी.एस/सू.अधि./10/
प्रति,

छैगांव माखन, दिनांक

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
विभाग खण्डवा

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत 17 बिन्दुओ की मेन्यूअल जानकारी तथा समस्त कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी तैयार कर बेबसाईड पर दर्ज कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवदेन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत 17 बिन्दुओ की मेन्यूअल जानकारी तथा समस्त कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति की जानकारी दिये गये प्रारूप तैयार कर बेबसाईड पर दर्ज कराने हेतु आपकी ओर प्रेषित है ।

सादर प्रस्तुत ।

संलग्न :- बिन्दुवार प्रारूप में जानकारी ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

बिन्दू - 1(अ)

प्रशानिक ढाँचा

क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद
1	श्रीमती संजीता भगत	परियोजना अधिकारी
2	श्री दीपक दुबे	सहायक ग्रेड -2
3	श्री विशाल सोनी	सहायक ग्रेड -3
4	श्रीमती संगीता पाल	पर्यवेक्षक
5	श्रीमती कविता सोनी	पर्यवेक्षक
6	श्रीमती सेवती कनारे	पर्यवेक्षक
7	श्रीमती अनिता सावरकर	संविदा पर्यवेक्षक
8	कुमारी चंद्रकिरण सिटोले	संविदा पर्यवेक्षक
9	श्रीमती कांता कोचले	संविदा पर्यवेक्षक
10	श्री निर्मलसिंह	मृत्य

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

बिन्दू - 1(ब)

कार्यालय की विभिन्न शाखाओ के कार्य/दायित्व

क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	शाखा	दायित्व
1	श्रीमती संजीता भगत	परियोजना अधिकारी	छैगांव ब्लाक	छैगांव ब्लाक अधिकारी :
2	श्री दीपक दुबे	सहायक ग्रेड -2	लेखा, स्थापना एवं कार्यालय संबंधी समस्त कार्य, कोषलय संबंधी कार्य	<u>लेखाकक्ष</u> वेतन देयक एवं समस्त 1. अन्य बिल, आय व्यय । 2. बिल पंजी, चेक पंजी, केशबुक आदि । <u>स्थापना शाखा</u> सेवा पुस्तिका एवं पासबुक सेवा अभिलेख का संचालन ।
3	श्री विशाल सोनी	सहायक ग्रेड -3		1. आगनवाडी संबंधी सामग्री, 2. कार्यालय को प्राप्त सांख्यिकी सामग्री का लेखा जोखा । 3. शासकीय योजनाओ का क्रियान्वन 1. लाडली लक्ष्मी योजना । 2. किशोरी शक्ति योजना आवक जावक - समय समय पर प्राप्त शासकीय पत्रो का संधारण करना ।
4	श्री निर्मलसिंह	भृत्य	कार्यालय व्यवस्था	साफ सफाई एवं कार्यालय के कार्य सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी

5	श्रीमती संगीता पाल	पर्यवेक्षक	सेक्टर चिचगोहन	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार
6	श्रीमती कविता सोनी	पर्यवेक्षक	सेक्टर छैगांव माखन	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार
7	श्रीमती सेवती कनारे	पर्यवेक्षक	सेक्टर सिरसौद	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार
8	श्रीमती अनिता सावरकर	संविदा पर्यवेक्षक	सेक्टर अहमदपुर खैगांव	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार
9	कुमारी चंद्रकिरण सिटोले	संविदा पर्यवेक्षक	सेक्टर बरूड	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार
10	श्रीमती कांता कोचले	संविदा पर्यवेक्षक	सेक्टर डुल्हार	आंगनवाडी केन्द्रो का निरीक्षण प्रतिदिन मुख्यालय पर रहना , समय समय पर शासकीय गतिविधियों का प्रचार प्रसार

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

बिन्दू - 2

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी के नाम, पदनाम, कर्त्तव्य तथा परिलब्धियों की जानकारी

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	मूलवेतन	मंहगाई वेतन	डी.ए मंहगाई भत्ता	मकान भाडा	योग	जी.पी.एफ अंशदान	बीमा	शुद्ध वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	श्रीमती संजीता भगत	परियोजना अधिकारी	10230	3600	3458	138	17426	1729	400	15297.00

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छेगांव माखन

बिन्दू - 5

कार्यालय मे उपयोग आने वाले अधिनियम, नियम रेग्यूलेशन मेन्यूअल की सूची	उषा किरण योजना अंतर्गत - लोक हिंसा एवं महिला उत्पीडन की पत्रिका
--	---

बिन्दू - 6

कार्यालय मे संधारित किये जाने वाले अभिलेखो की सूची	लेखा शाखा - केशाबुक, बिल, चेकपंजी । स्थापना शाखा - सर्विस बुक, पासबुक, अवकाश लेखा भंडार शाखा - स्टोक पंजी, योजना शाखा - समस्त क्रियान्वित योजना संबंधी फाईल ।
--	--

बिन्दू - 7

परामर्श दात्री समितियो की संरचना	जिला स्तर से ।
----------------------------------	----------------

बिन्दू -8

बोर्ड, परिषद एवं समितियों की जानकारी -जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की उपसमिति	जनपद अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य महिला बाल विकास समिति का अध्यक्ष होता है ।
---	---

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छेगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

बिन्दू - 9

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

क्रं.	अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	सम्पर्क विवरण	
			कार्यालय	निवास
1	श्रीमती संजीता भगत	परियोजना अधिकारी	छैगांव माखन	नकोडा नगर खण्डवा
2	श्री दीपक दुबे	सहायक ग्रेड -2	छैगांव माखन	8 , परदेशी खंडवा
3	श्री विशाल सोनी	सहायक ग्रेड -3	छैगांव माखन	सिविल लाईन खण्डवा एस.पी. कार्यालय के सामने
4	श्रीमती संगीता पाल	पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	वत्सला बिहार खण्डवा
5	श्रीमती कविता सोनी	पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	रमा कालोनी खण्डवा
6	श्रीमती सेवती कनारे	पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	छोटी बोरगांव जिला खण्डवा
7	श्रीमती अनिता सावरकर	संविदा पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	नवचण्डी मंदिर के पास खण्डवा
8	कुमारी चंद्रकिरण सिटोले	संविदा पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	बडवाह
9	श्रीमती कांता कोचले	संविदा पर्यवेक्षक	छैगांव माखन	बरुड
10	श्री निर्मलसिंह	भृत्य	छैगांव माखन	इदौर नाका खण्डवा

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छेगांव माखन

बिन्दू - 10

कार्यालय में पदस्थ अधिकारी के नाम, पदनाम, कर्त्तव्य तथा परिलब्धियों की जानकारी

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	मूलवेतन	मंहगाई वेतन	डी.ए मंहगाई भत्ता	मकान भाडा	अन्य भत्ते	योग	जी.पी.एफ अंशदान	बीमा	शुद्ध वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	श्रीमती संजीता भगत	परियोजना अधिकारी	10230	3600	3458	138	-	17426	1729	400	15297.00
2	कुमारी नरगीस नुरानी	सहा.ग्रेड -2	8204	2400	2651	103	-	13358	615	200	12543.00
3	श्री विशाल सोनी	सहायक ग्रेड -3	5680	1900	1895	76	-	9551	948	200	8403.00
4	श्रीमती संगीता पाल	पर्यवेक्षक	10506	2400	3227	130	-	16263	780	200	15283.00
5	श्रीमती कविता सोनी	पर्यवेक्षक	9043	2100	2786	112	-	14041	669	200	13172.00
6	श्रीमती सेवती कनारे	पर्यवेक्षक	9043	2100	2786	112	-	14041	669	200	13172.00
7	श्री निर्मलसिंह	भृत्य	7230	1400	2158	87	50	10925	521	100	10304.00

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छेगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

बिन्दू - 12

विभागीय योजनाओ की संक्षिप्त जानकारी

क्र	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण
1	लाडली लक्ष्मी योजना	लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत चयनित बालिका को 6000/- रुपये कि पाँच एन.एस.सी प्राप्त होगी । जो उसकी अठारह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्राप्त होगी । (नियम शर्त लागू)
2	उषा किरण योजना	उषा किरण योजना के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओ का व घरेलू झगडो का निपटारा किया जाता है व घरेलू सामाजिक व पारिवारीक समस्या का निपटारा किया जाता है ।
3	किशोरी शक्ति योजना	किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओ को खंड स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है । जिनमे स्वास्थ्य संबंधी आदि की जानकारी दी जाती है ।
4	मंगल दिवस	मंगल दिवस योजना के अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्रो पर मंगल दिवस उत्सव मनाया जाता है । प्रथम गोदभराई, द्वितीय अन्नप्रासन, तृतीय जन्मदिवस, चतुर्थ किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
छैगांव माखन

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्रीमती संजीता भगत

वर्तमान धारित पद ... बाल विकास परियोजना अधिकारी छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
				निरंक		

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्री दीपक कुमार दुबे

वर्तमान धारित पद ... सहायक ग्रेड - 2 छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां संपत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा डुल्हार	मकान 4 एकड खेत एवं खला	- कृषि भूमि	10 लाख 5 लाख	माता, पत्नी एवं स्वयं के नाम पर खेत स्वयं के नाम	पैतृक सम्पत्ति, बैंक से ऋण एवं पैतृक सम्पत्ति विक्रय कर मकान लिया ।	50 हजार रुपये सालाना कृषि से

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्री विशाल सोनी

वर्तमान धारित पद ... सहायक ग्रेड - 3 छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
				निरंक		

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो

श्री संगीता पाल

वर्तमान धारित पद ... पर्यवेक्षक

छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा		प्लाट	2 लाख	स्वयं के नाम पर	खरीदकर	

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर

दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्रीमती कविता सोनी

वर्तमान धारित पद ... पर्यवेक्षक छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
खण्डवा	मकान	-	5 लाख	स्वयं के नाम पर प्लॉट के उपर मकान निर्माण	खरीदकर	

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्रीमती सेवती कनारे

वर्तमान धारित पद ... पर्यवेक्षक छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
		-		निरंक	-	-

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्रीमती अनिता सावरकर

वर्तमान धारित पद ... संविदा पर्यवेक्षक छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
इंदौर	-	प्लाट यादव नगर इंदौर	3 लाख	स्वयं के नाम पर	खरीदकर	

जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमें अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्रीमती कांता कोचले

वर्तमान धारित पद ... संविदा पर्यवेक्षक छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	निरंक	-	-

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो कुमारी चंद्रकिरण सिटोले

वर्तमान धारित पद ... संविदा पर्यवेक्षक छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	निरंक	-	-

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक

कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना छैगांव माखन

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2010-11

अधिकारी का नाम (पूरा) तथा उस सेवा का नाम जिस सेवा का वह हो श्री निर्मलसिंह

वर्तमान धारित पद ... भृत्य छैगांव माखन

उस जिले/अनुविभाग परगना और प्रांत का नाम जहां सम्पत्ति स्थित है ।	सम्पत्ति का नाम		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो यह बताईये कि यह किसके नाम पर है ओर शासकीय कर्मचारी से उसका क्या संबंध है	उसे किस प्रकार प्राप्त किया गया खरीदकर, पट्टे पर, बंधक पर, उत्तराधिकार से या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त करने की तारीख तथा उन व्यक्तियों का नाम तथा विवरण जिनसे वह प्राप्त की गई है ।	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	घर तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	निरंक	-	-

जो लागू न हो उसे काट दिजीये ।

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य दर्शाया जा सकता है ।

इसमे अल्पकालिक पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी :- म.प्र.शासकीय कर्मचारी आचरण नियम 1959 के नियम 18 (3) के अधीन सेवारत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सदस्य द्वारा उसकी सेवा में उसकी प्रथम नियुक्ति पर उसके बाद प्रत्येक 12 महीनो का अंतरावधि में अपने स्वयं के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा प्राप्त की गई या उत्तराधिकारी में प्राप्त की गई या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर धारित समस्त अचल संपत्ति की ब्योरे देते हुए घोषणा पत्र भरा जाना चाहिए और प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

हस्ताक्षर
दिनांक